आदेश

संस्था की सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पूर्व की भांति वित्तीय वर्ष/सत्र 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रति-पूर्ति योजना के अन्तर्गत छात्राओं के बायोमैट्रिक अटेन्डेन्स हेतु नई प्रक्रिया शासन द्वारा लागू की गई है। किसी भी छात्रा की शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाली छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रति-पूर्ति सुविधा अनुमय होगी।

अतः सभी छात्राओं को आदेशित किया जाता है कि संस्था में बायोमैट्रिक अटेन्डेन्स, बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में 75 प्रतिशत उपस्थिति से कम होने पर छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रति-पूर्ति हेतु अनुमय नहीं होगी और इसके लिए छात्राएं स्वयं उत्तरदायी होंगी। यदि त्रुटिवश छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रति-पूर्ति का भुगतान हो भी जाता है तो भुगतान धनराशि छात्राओं को संस्था को वापस करनी होगी। बायोमैट्रिक से संबंधित सभी कार्य छात्र प्रभारी/अधिकारी द्वारा देखा जाएगा।

उपरोक्त से संबंधित किसी भी विषम परिस्थिति हेतु छात्राएं स्वयं उत्तरदायी होंगी।

भवदीय

(प्रधानाचार्य)

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय महिला पालीटेक्निक अरनिया, बुलन्दशहर।

पत्रांकः 644 छात्रवृत्ति/2022-23 दिनांक 20/04/2022

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1.निदेशक,प्राविधिक शिक्षा,उ0प्र0,कानपुर को सूचनार्थ हेतु।

2.संयुक्त निदेशक,प्राविधिक शिक्षा,प0 क्षे0 को सूचनार्थ हेतु।

3.सचिव,प्राविधिक शिक्षा लखनऊ को सूचनार्थ हेतु।

4.छात्रवृत्ति अधिकारी/प्रभारी संस्थागत को सूचनार्थ हेतु।

5.शैक्षिक अधिकारी/प्रभारी संस्थागत को सूचनार्थ हेतु।

6.नोटिस बोर्ड संस्थागत।

7.कक्षाओं में चक्रीकरण हेतु।

8.छात्र प्रभारी/अधिकारी को इस आशय के साथ कि प्रत्येक माह की छात्राओं की बायोमैट्रिक उपस्थिति एकेडमिक शैक्षिक प्रभारी को उपलब्ध कराएं।

भवदीय

(प्रधानाचार्य)